राजस्थान सरकार
राजस्व (ग्रुप-6) विभाग

क्रमांकःएफ--6(6)राज--6/92 पार्ट/11 जयपुर, दिनांक 29/03/2011

01-04-2011

निमित्त
जिला कलेक्टर्स (समस्त)

विषय:— राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 के तहत अधिसूचित ड्राफ्ट मास्टर प्लान में सम्मिलित क्षेत्रों में भू-राजस्व विधियां/ नियम लागू होने के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में जारी परिपत्र क्रमांक एफ--6(6)राज--6/92 पार्ट/3 दिनांक 03/03/2009 और नगरीय विकास विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक 3(119)न.वि.वि./3/09 दिनांक 24/11/2010 के संदर्भ मे कुछ जिला कलेक्टर्स द्वारा यह मार्ग दर्शन चाहा गया है कि जिन नगर निकायों के मास्टर प्लान बनाने / संशोधित किये जाने हेतु राजस्थान नगर सुधार न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 3(1) की अधिसूचना जारी करके ड्राफ्ट मास्टर प्लान जारी किये गये हैं, और अन्तिम मास्टर प्लान अधिसूचित नहीं हुआ है, उक्त ड्राफ्ट मास्टर प्लान में जो नवीन ग्राम/क्षेत्र सम्मिलित कर लिये गये है, उन क्षेत्रों में मास्टर प्लान के अन्तिम प्रकाशन तक भूमि रूपान्तरण हेतु धारा 90--बी राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 के प्रावधान लागू होंगे अथवा ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रचलित 2007 के रूपान्तरण नियमों के प्रावधान लागू होंगे?

इस सम्बन्ध में निर्देशानुसार लेख है कि राजस्व विभाग द्वारा पूर्व में इस बाबत विधि विभाग की राय ली गयी है और पुनः प्रकरण का परीक्षण किया गया है। तदनुसार लेख है कि राजस्थान नगर विकास न्यास अधिनियम, 1959 की धारा 3 (1) के तहत प्रकाशित किसी भी नगर निकाय के ड्राफ्ट मास्टर प्लान में सम्मिलित नवीन गांवों/ ग्रामीण क्षेत्रों में, जब तक कि मास्टर प्लान का अन्तिम प्रकाशन नहीं हो जाता है तब तक, उक्त क्षेत्र को भूमि रूपान्तरण, भूमि आवंटन आदि प्रयोजनों के लिये ग्रामीण क्षेत्र माना जाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिये प्रभावी राजस्व विभाग के नियमों के तहत ही कार्यवाही की जावे।

कृपया तदनुसार सभी सम्बन्धितों को सूचित करावे।

उप शासन सचिव
1/4/2011

प्रतिलिपि सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतुः—

1. निजी सचिव, माननीय राजस्व मंत्री महोदय।
2. प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. निबन्धक, राजस्व मण्डल, अजमेर।
4. रक्षित पत्रावली।

उप शासन सचिव
1/4/2011